न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/56/2023	2023/329	26–07–2023	20.11.2024

01. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

–प्रार्थी

बनाम

01. श्री जगदीश सैनी, मै0 मॉर्डन गैस एजेंसी, अलवर।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 28 घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुए, को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः–

1. रिंकी, प्रवर्तन निरीक्षक — विभागीय प्रतिनिधि

––:: निर्णय ::––

प्रवर्तन निरीक्षक, अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 28 घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुए, को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ17 (2) खा.वि./न्याय/2000 जयपुर दिनांक 09.04.2018 की अनुपालना में सुरक्षा पखवाडा के तहत द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध परिवहन अवैध डम्पिंग प्वाईट बनाकर घरेलू गैस सिलेण्डर का वितरण करने की सूचना मिलने पर जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टॉफ मौके पर पहुंचे। श्री जगदीश सैनी पुत्र श्री छोटे लाल सैनी निवासी मालीपुरा मौहल्ला बांदीकुई, जिला दौसा (डिलीवरीमेन), मै० मॉर्डन गैस एजेंसी, अलवर द्वारा कुश मार्ग, अलवर पर अवैध डम्पिंग प्वाईट बनाकर घरेलू गैस लेण्डर का वितरण किया जा रहा था। श्री जगदीश सैनी द्वारा सिलेण्डर भण्डारण से संबंधित कोई वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। मौके पर 28 घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुए पाए गए जिनका उपभोक्ताओं में वितरण किया जाना था। इस प्रकार प्रमाणित भण्डारण स्थल से भिन्न स्थान पर गैस सिलेण्डर्स का संग्रहण किया जाना द्रवित पेट्रोलियम गैस पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण मै० मॉर्डन गैस एजेंसी, अलवर के 28 घरेलू गैस सिलेण्डर्स को मय गैस जब्त सरकार किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर्स को श्री मिश्री लाल गुप्ता पुत्र श्री मुसद्दी लाल गुप्ता कार्यकर्ता फर्म मै० अलवर गैस एजेंसी रामगंज, अलवर की सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द सुपुर्दगीनामा एवं फर्द अभिग्रहण अलग से तैयार किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 28 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर्स (क्षमता 14.2 किग्रा) के भरे सीलशुदा मय गैस को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी को जरिये रजि0 नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद रजि0 तलबी/तामील के अनुपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता अनु0। अप्रार्थी की एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर श्री जगदीश सैनी पुत्र श्री छोटे लाल सैनी निवासी मालीपुरा मौहल्ला बांदीकुई, जिला दौसा (डिलीवरीमेन), मै० मॉर्डन गैस एजेंसी, अलवर द्वारा कुश मार्ग, अलवर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) 20.11.24

पर अवैध डम्पिंग प्वाईंट बनाकर घरेलू गैस लेण्डर का वितरण किया जा रहा था तथा वक्त जांच श्री जगदीश सैनी द्वारा सिलेण्डर भण्डारण से संबंधित कोई वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। वक्त जांच मौके पर 28 घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुए पाए गए जिनका उपभोक्ताओं में वितरण किया जाना था। इस प्रकार प्रमाणित भण्डारण स्थल से भिन्न स्थान पर गैस सिलेण्डर्स का संग्रहण किया जाना द्रवित पेट्रोलियम गैस पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 28 घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुए, को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 28 घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुए, सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.11.24

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)